



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
**Office of the Chief Commissioner**  
**सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**  
**CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur**

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/29/2025-ADMIN

**स्थापना आदेश सं.: 45/2025**

दिनांक : 25.09.2025

सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर जोन द्वारा जारी रिक्ति परिपत्र CCU/01/2025 दिनांक 08.05.2025 के फलस्वरूप जारी स्थापना आदेश CCU-64/2025 दिनांक 19.08.2025 की अनुपालना में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण के उपरांत प्रशासनिक अधिकारी की श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Hitesh Kumar	20.09.1996	On joining (On Deputation)	CGST, Alwar

2. उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 25.09.2025 (अपराह्न) में कार्यभार मुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर जोन की संस्कीर्ति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)  
संयुक्त आयुक्त

**प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -**

1. आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), अलवर।
2. वैतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. गार्ड फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड
5. वेब मास्टर – जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।